# यालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

## (जिला–पाली) राज0

न अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

वाद पत्र संख्या : 10/2022

No. : 2022/18

वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| तहसीलदार, जैतारण<br>ण्ड होल्डर राजस्थान सरकार<br>तहसील–जैतारण, जिला–पाली | बनाम | 1.अर्मतकंवर पत्नी महेन्द्रसिंह कौम चारण निवासी खिनावड़ी<br>2.पोकरराम पुत्र धोकलराम कौम कुमावत निवासी निमाज<br>3.भूण्डाराम पुत्र मुकनाराम कौम कुमावत निवासी बिरोल<br>4.रामेश्वरलाल पुत्र भीकाराम कौम घांची निवासी जैतारण<br>5.लीला देवी पत्नी मदनलाल कौम सरगरा निवासी जैतारण। |

राजस्व वाद पत्र बाबत् **बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी, अधिनियम, 1955**

तारीख रजू :– 14.01.2022

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

2. श्री महेन्द्र सिंह बारहठ, सुरेश चौधरी, किशोर कुमावत अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

**–:: निर्णय ::–** **दिनांक :– 22.03.2022**

वादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि **खसरा नंबर 72/9 कुल रकबा 0.3642 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, मौजा जैतारण** में स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। यह है कि प्रतिवादी नंबर 01 लगायत 05 ने जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर वाणिज्यिक उपयोग (दुकान, चार दीवारी आदि निर्माण) कर खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है प्रतिवादीगण ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं दावा हाजा के लिए बिनाय मुखासमत **दिनांक 10.01.2022** को पैदा हुआ जब भू. अ.निरीक्षक ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन उक्त पर [illegible] से के अवैध रूप से **अकृषि (वाणिज्यिक प्रयोजन)** का कार्य करने की सूचना [illegible] रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, आरटी [illegible] 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी [illegible] प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:15:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला–पाली

इस पर वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब ा गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या से 5 ने जवाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया, जवाब दावा में जाहिर ा कि वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित अनुसार आराजी खसरा संख्या 72/9 रकबा 3642 हैक्टर यानि 02–05 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि मौज जैतारण तहसील ारण में स्थित है। पश्चातवर्ती प्रक्रम राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार दिनांक 17. .1991 से पूर्व बस्सी आवासीय क्षेत्र के मामलो में प्रार्थी के आवदेन पत्र पर नगर लेका जैतारण नें प्रकरण संख्या 297 वर्ष 2012–13 कायम करते हुए राजस्थान भू जस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के तहत रामेश्वरलाल पुत्र भीकाराम की उक्त सरा संख्या 72/9 की भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ काम में लिए जाने बाबत् प्रस्तुत ावेदन पर बाद जांच उक्त प्रकरण को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त खसरा संख्या 72/9 के म्पूर्ण रकबे की भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ भू–रूपान्तरण कर दिया एवं रामेश्वरलाल ारा आवश्यक शुल्क भी जमा करवा दिया गया। वादग्रस्त खसरा संख्या 72/9 के सम्पूर्ण कबे की भूमि को भू–रूपान्तरण किये जाने के बाद नगरपालिका जैतारण ने राजस्व रिकॉर्ड माफिक आदेश के नामान्तरणकरण करने हेतू तहसीलदार जैतारण को जरिए पत्र क्रमांक ा.पा.जे./2018/2104–05 दिनांक 07.08.2018 को पत्र जारी किया था। जिसकी वादी हसीलदार जैतारण द्वारा आज दिन तक पालना नही की गई है एवं अपने पदीय कर्तव्यो की पालना करने में तहसीलदार जैतारण पूर्णरूपेण असफल रहे है। तत्पश्चात रामेश्वरलाल स्वयं ने माफिक भू–रूपान्तरण आदेश की नामान्तकरण की कार्यवाही करने हेतू वादी तहसीलदार जैतारण को दिनांक 05.03.2020 को अपनी ओर से पुनः एक आवेदन पत्र पेश किया था जो उसी दिन वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतू हल्का पटवारी को भेजा गया जिसकी भी आज दिन तक कोई पालना नही हुई एवं हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक ने अनावश्यक रूप से तहसीलदार जैतारण के मार्फत यह कार्यवाही पेश करवायी है जो कतई गलत है। इस प्रकार से वादग्रस्त भूमि वास्ते आवासीय प्रयोजनार्थ भू रूपान्तरण हो चुकी है एवं वर्तमान में उक्त भूमि कृषि भूमि नही रही है उसके बावजूद भी वादी तहसीलदार जैतारण एवं उसके अधीनस्थ कार्मिको ने रामेश्वरलाल व जवाब देहन्दा को तंग व परेशान करने की नियत से झूठा प्रकरण बनाते हुए एवं झूठे साक्ष्य एवं सबूत तैयार कर अदालत श्रीमान के समक्ष यह निराधार कार्यवाही पेश की है जो काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावे। साथ ही इस प्रकरण में उत्तरदायी व्यक्तियो के विरूद्ध समुचित कार्यवाही किए जाने बाबत् भी निवेदन है। इस प्रकार से उक्त भूमि कृषि भूमि नही रहने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नही होते है। वादी पक्षकार इस प्रकरण में किसी प्रकार का स्थगन अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। इस वादपत्र में वर्णित भूमि भू–रूपान्तरण सुदा होने से कृषि भूमि नही रही है। वादी को जवाब देहन्दा के विरूद्ध कोई बिनाय वाद प्राप्त नही होता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाबदावा में कथन किया कि वाणिज्यिक उपयोग (दुकान, चारदीवारी आदि निर्माण) प्रतिवादी संख्या 1 के नही है। तथा इस निर्माण में प्रतिवादी संख्या 01 का कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है। इसलिए वादी की ओर से प्रस्तुत वाद काबिल खारिज के होने से मय खारिज किया जावे।

बहस वादी सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

लोकन किया गया। बहस पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन निर्णयन निम्नानुसार है–

वादी तहसीलदार जैतारण द्वारा हस्तगत दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी धिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण खातेदारान् द्वारा ग्राम जैतारण स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 72/9 रकबा 0.3642 हैक्टर किस्म बारानी यम जो कि कृषि भूमि है पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किस्म परिवर्तित कर णिज्यिक उपयोग (दुकान, चार दीवारी आदि निर्माण) कर खुर्द बुर्द कर रहे है तथा टीनेन्सी शर्तो का भंग किया गया है। अतः वादपत्र स्वीकार किया जाकर खातेदारान् को मौके बेदखल किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अप्रार्थी खातेदार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का सरा संख्या 72/9 रकबा 0.3642 हैक्टर नगरपालिका जैतारण के सक्षम अधिकारी द्वारा करण संख्या 297/2012–2013 अन्तर्गत धारा 90ए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 956 गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया जा चुका है। तथा भू रूपान्तरण उपरान्त गरपालिका जैतारण द्वारा राजस्व रिकर्ड में नामान्तकरण दर्ज किए जाने हेतू पत्र क्रमांक पा.जे./2018/2104–05 दिनांक 07.08.2018 जारी किया गया था लेकिन उक्त संपरिवर्तन आदेश के अनुरूप नामान्तकरण दर्ज नही होने के कारण भू अभिलेख में वादग्रस्त आराजी अभी भी कृषि भूमि दर्ज है। जिसके आधार पर तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध यह दावा प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज है।

3. जवाबदावे के साथ प्रस्तुत भू रूपान्तरण आदेश एवं अन्य दस्तावेजात् से स्पष्ट है कि प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका जैतारण द्वारा आदेशांक/न.पा.जै/2018/2104–05 दिनांक 07.08.2018 द्वारा वादग्रस्त आराजी को गैर कृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा प्रदान करते हुए अभिधृति अधिकारो को निर्वापित किया जा चूका है। अतः वादग्रस्त आराजी वर्तमान में कृषि भूमि नही होने के कारण प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही संधारणीय नही है। अतः हस्तगत वादपत्र विधिविरूद्ध होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

**–: आदेश :–**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद–पत्र अंतर्गत धारा–177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 भली भांति साबित नही होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 22/03/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:00 IST
Reason: SelfAttested